

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 19/2018

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 25.06.2018

निर्णय दिनांक : 26/11/2018

सरकार जरिये पटवारी हल्का बनाम
पलाड़ा

गणेशराम, पुत्र मोटाराम
जाति मेघवाल नि. पलाड़ा

—: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पलाड़ा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री गणेशराम पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल नि. पलाड़ा ने ग्राम पलाड़ा के खसरा नम्बर 594 कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नदी में से रकबा 0.10 हैक्टर भूमि पर सम्वत 2075 में बाड़ लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये किया गया। नोटिस की प्रति नारायणराम ने प्राप्त की।

अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे प्रार्थना - पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम पलाड़ा के आराजी राज खसरा नम्बर 594 कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नदी में से रकबा 0.10 हैक्टर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 2.30 रु का पच्चास गुणा से राशि रु0 115 /- अक्षरे एक सौ पन्द्रह रुपये जुर्माना आरोपित किया जाता है।